तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुभाष बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर तृतीय, जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 47 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06..20	दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित होने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। संक्षित में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी सुभाष पुत्र जयकिशन, निवासी लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.01.20 में उसके द्वारा (1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 नया 62 जोधपुर से पाली 4 लाईन सड़क बनाते समय राजस्व गांव कांकाणी तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 888, 888 / 1, 888 / 3, 888 / 4, 888 / 5, 888 / 6 एवं 888 / 7 में जमीन अधिग्रहण के भुगतान से संबंधित समस्त पत्रावली की नियमानुसार प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर तृतीय, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर तृतीय, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर तृतीय, जोधपुर) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर तृतीय, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	